UPMT010069522026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3070/2026
रोहित प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 367/2026, धारा 310(4),310(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **रोहित** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा समीर पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त एकदम निर्दोष है और उसको गलत रूप से झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है, आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई जानकारी शपथकर्ता को नहीं है, आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.07.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त आदि को डकैती की तैयारी कर, डकैती की योजना बनाते समय मौके से गिरफ्तार किया जाना और तत्समय ही अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध आग्नेयास्त्र, छुरे, प्लास, पेचकस, सब्बल, टार्च आदि भी बरामद किया जाना आक्षेपित है। प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है और समस्त तथ्य सामने आने शेष हैं, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि अभियोजन कथानक सरासर गलत व झूठा है। वादी मुकदमा/चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार सिंह ने अपने आर्थिक लाभ व उच्च अधिकारियों को गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से झूठ फर्द बरामदगी अपने सह–पुलिसकर्मियों के सहयोग से घटना के दो दिन बाद आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस के सह–अभियुक्तों के साथ उक्त केस में झूठा नामित किया है तथा आवेदक/अभियुक्त के पास अपने पास से चाकू रख कर चालान किया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 28.07.2026 को उक्त केस के सह–अभियुक्त संजय से आपसी झगड़े के दौरान थाना गोवर्धन में बंद किया था और उक्त केस के अन्य तीन अभियुक्तों को आवेदक/अभियुक्त जानता तक नहीं है। उक्त कथित घटना के सम्बन्ध में कोई भी जनसाक्षी नहीं है और केवल आवेदक/अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिए गए पुलिस कंफैशनल स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई जन साक्ष्य नहीं है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के उक्त प्रत्युत्तर का कोई समुचित प्रतिवाद नहीं किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी व उससे दर्शित कथित बरामदगी का कोई

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.08.11 16:58:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वतंत्र जनसाक्षी हो, ऐसा भी अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त **रोहित** को दिनांक 30.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है और उसकी किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–11.08.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी,
निजी सहायक